05/06/25 अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। प्रकरण में उभयपक्षकारान् अधिवक्ताओ द्वारा प्रकरण को आपसी सहमति से पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने बाबत् निवेदन किया। प्रकरण का. अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील उपखंड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व विविध संख्या 29/18 बजनबन ओमप्रकाश बनाम दीपा में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03/07/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। तथा न्यायालय द्वारा उक्त अपील के अन्तर्गत जैर अपील अंतरिम आदेश को आज दिनांक तक न तो स्थगित किया गया है एवं न ही अपास्त किया गया है। इस प्रकार जैर अपील अंतरिम आदेश आज दिनांक तक यथावत है एवं अंतरिम आदेश से संबंधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र, भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है। उभयपक्षकारान् अधिवक्ताओ द्वारा प्रकरण

[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर मूल अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को त्वरित निस्तारण करवाये जाने बाबत् निवेदन हाज़ा न्यायालय के समक्ष किया गया है। अतः और अपील अंतरिम व्यादेश के अन्तर्गत प्रकरण के इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये बिना प्रकरण उपखंड अधिकारी रायपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित आपके न्यायालय में विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र राजस्व विविध संख्या 29/2018 उनवान ओमप्रकाश वगैरा बनाम दीपा वगैरा के अन्तर्गत उभयपक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 02 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करें। आदेश की फोटोप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Scanned with OKEN Scanner